न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 133/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

मगना पिता गोकल जाट निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा

प्रार्थी

बनाम

1– महादेव पिता धन्ना जाट निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
2– भवर पिता बद्री जाट निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
3– देवकरण पिता लादू जाट निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
4– नाथू पिता कजोड जाट निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
5– भैरू पिता धन्ना गैरवा निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
6– मु. पानी बेवा बरदू रेगर निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
7– महावीर पिता बालू जाट निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
8– मु. मीठू देवी पत्नी कैलाश जाट निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
9– दिनेश पिता कैलाश जाट निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
10– मु. सरोज पुत्री कैलाश जाट निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा

विपक्षीगण

उपस्थिति – **श्री राजेश वर्मा**
अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 12/01/21

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 [illegible] विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थी के **ग्राम कादीसहना** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 483 रकबा 0.52 है0, 3214 रकबा** 0.47 है0, **3221 रकबा 0.81 है0, 3222 रकबा 0.50 है0, 3223 रकबा 0.35 है0, 482/3756 रकबा** 0.07 है0 [illegible] **किता 6** रकबा **2.72 है0** हैक्टेयर का प्रार्थी **खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण [illegible] प्रार्थी एव विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद [illegible] होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण [illegible] सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। [illegible] पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम कादीसहना संवत रबी 2076** तक का [illegible] किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् का प्रार्थी **खातेदार** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढी [illegible] चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **आंशिक स्वीकार** किया जाकर मौजा **कादीसहना** में [illegible] प्रार्थी की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् में से **आराजी नम्बर 3214 रकबा 0.47 है0 किस्म** पेटा [illegible] **3222 रकबा 0.05 है0 किस्म गेमु रास्ता, 3223 रकबा 0.05 है0 किस्म गेमु रास्ता को छोड़कर शेष** किता 3 **रकबा 1.40 है0 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई [illegible] न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये [illegible] **ऑफ सीजन में** किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी [illegible] कमिश्नर फीस 300/– रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त [illegible] पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील [illegible] दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/01/21 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि – तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश, पक्षकारान् की मौजूदगी [illegible] नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.